

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०-८/गठन/१०१/२०१४/न०वि०आ०-.....५०८२ राँची, दिनांक-०८/०८/१७

बिहार नगरपालिका अधिनियम, १९२२ (बिहार अधिनियम-२, १९९५ के द्वारा यथा संशोधित), जो उस समय झारखण्ड राज्य में अंगीकृत था, की धारा-६ के साथ पठित धारा-३९० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोड्डा नगरपालिका को नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के गजट अधिसूचना संख्या-३७३, दिनांक-०६.०२.२००६ के द्वारा गोड्डा नगर पंचायत के रूप में घोषित किया गया।

२. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, २०११ के अध्याय-२ की धारा-८ में "नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण" के अन्तर्गत अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या के प्रकाशित आँकड़ों के आधार पर नगरपालिका क्षेत्र को वर्गीकृत करने एवं धारा-१४ में "जनगणना रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद सरकार द्वारा समीक्षा" के अन्तर्गत वर्तमान नगरपालिकाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार उनका उच्चीकरण या पुर्नगठन किए जाने का प्रावधान वर्णित है।

३. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, २०११ की धारा ८ की उपधारा (२)(ii) के अनुसार यदि किसी स्थानीय निकाय क्षेत्र की जनसंख्या ४०,००० से अधिक और एक लाख से कम हो तो उक्त नगर निकाय क्षेत्र को नगर परिषद वर्ग-'ख' के रूप में अधिसूचित करने का प्रावधान है।

४. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, २०११ की धारा-८ तथा धारा-१४ में वर्णित प्रावधान के आलोक में वर्ष २०११ की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर गोड्डा नगर पंचायत की कुल जनसंख्या-४८४८० होने के फलस्वरूप गोड्डा नगर पंचायत को उसके मूल रूप में लघुत्तर शहरी क्षेत्र गोड्डा नगर परिषद, वर्ग-'ख' के रूप में उक्तमित करते हैं।

५. "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, २०१२" के नियम-३ के तहत गोड्डा नगर परिषद, वर्ग-'ख' में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या का अवधारण निम्न रूपेण किया जाता है:-

जिला	नगरपालिका क्षेत्र का नाम	जनगणना, २०११ के अनुसार कुल जनसंख्या	मानक जनसंख्या के आधार पर वार्डों की न्यूनतम संख्या		अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या				कुल वार्डों की संख्या
			मानक जनसंख्या	मानक वार्डों की संख्या	अवशेष जनसंख्या	अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के गठन हेतु विनिर्धारित जनसंख्या	प्रतिशत / अनुपात	वार्डों की संख्या	
गोड्डा	गोड्डा नगर परिषद, वर्ग-'ख'	४८४८०	४००००	२०	८४८०	६०००	१.४१३	१	२१

गोड्डा नगर परिषद, वर्ग-'ख' में "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, २०१२" के अध्याय-२, नियम-३ के तहत वर्ष २०११ की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की संख्या-२१ एवं पार्शदों की संख्या भी २१ निर्धारित करते हैं।


६. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-४४८३ दिनांक-१३.०७.२०१७ को गोड्डा नगर परिषद, वर्ग-'ख' के लिए इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

(४)



7. उक्त अवधारण का प्रभाव उपर्युक्त नगर परिषद् क्षेत्र पर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आम निर्वाचन के पश्चात् उनकी प्रथम बैठक हेतु नियत तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल समाप्त न हो जाए।
8. उक्त पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
9. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।




(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-8 / गठन / 101 / 2014 / न0वि0आ0-.....5082
 राँची, दिनांक-.....08/08/17
 प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।



सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8 / गठन / 101 / 2014 / न0वि0आ0-.....5082
 राँची, दिनांक-.....08/08/17
 प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-8 / गठन / 101 / 2014 / न0वि0आ0-.....5082
 राँची, दिनांक-.....08/08/17
 प्रतिलिपि:-अवर सचिव, सभी प्रशाखा-1 (स्थापना), प्रशाखा-2 (बजट), प्रशाखा-5 (योजना), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उक्त नगर निकाय के संदर्भ में पदसृजन, बजट आवंटन एवं योजना कार्यान्वयन संबंधी आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई की जाय।



सरकार के प्रधान सचिव।

(2)